

SUMMARU TRIAL UNDER SECTION 263 THE CRIMINAL PROCEDURE CODE 1998  
IN THE COURT OF A.K. Gupta, JMFC Gohad Dist Bhind (M.P.)

Case No. 382/17

Complaint or report made on .....

Name and address of the Complainant.....

Name, parentage, caste and address of accused

बेनोबू सो गिराणु वषेक  
मि - भारत मार्केट मालगु

The offence, complainant of, and date of, its alleged commission

आप पर आरोप है कि दिनांक 29/10/17 मुकाम  
SRF मि गिराणु वषेक पर बिना वैध अनुज्ञप्ति के अपने  
आधिपत्य में 22 नवम्बर 22 शराब विक्रय/परिवहन हेतु रखी।  
ऐसा करके आपने आवकारी अधि 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय  
अपराध कारित किया।

क्या आपको उक्त अपराध स्वीकार है या प्रतिरक्षा चाहते हो।

The plea of the accused and his examination (if any)

अपराध स्वीकार है। न्यून दण्ड से दण्डित करने का निवेदन है।

हस्ताक्षर  
जायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहाद

हस्ताक्षर  
जायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी  
गोहाद

The offence alleged of and the case under classification (a) classification (b) classification (c) of sub-section 263



District (जिला): सिप  
FIR No. (प्र.स.सि)  
Original D  
S-No

// निर्णय //  
(आज दिनांक 27/12/17 को घोषित)

01. अभियुक्त के विरुद्ध आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का अभियोग है। संक्षिप्त विचारणीय होने से समरी सीट पर अपराध विवरण पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर अभियुक्त ने स्वेच्छापूर्वक जुर्म/अपराध स्वीकार करना व्यक्त किया।
02. संक्षिप्त विचारण किया गया। अतः अभियुक्त की स्वेच्छापूर्वक स्वीकारोक्ति के आधार पर आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत आरोपी को दोषी ठहराया जाता है। उसकी पूर्व दोषसिद्धि के संबंध में अभिलेख पर कोई तथ्य मौजूद नहीं हैं।
03. अभियुक्त को आबकारी अधि० 1915 की धारा 34-1 (क) के तहत न्यायाल उठने तक की अवधि तक की सजा एवं रुपये 500 शब्दों में पांच सौ रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अर्थदण्ड न पटाये जाने पर ..... का साधारण कारावास की सजा भुगतायी जावे।
04. जप्तशुदा सम्पत्ति 22 बाल्टर/पाव/बोतल 22 बाल्ट शराब मूल्यहीन एवं मानव उपयोग हेतु हानिकारक होने के कारण अपील अवधि पश्चात् नियमानुसार व्ययनित की जावे। अपील होने की दशा में मान० अपील न्यायालय के आदेश का

प्रति निवेदन  
मिशन